	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना–पत्र संख्या 90/2021 बअनवान नीरज वगै. बनाम् नदनलाल वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5.04.2022	पत्रावली पेश हुई। अपीलांटगण के अधिवक्ता श्री पवन सिंहल एवं रेस्पोडेंटस अधिवक्ता मुकेश जैन उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर पूर्व में बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं। उभयपक्ष के हितों का निर्धारण दावे के निस्तारण पर ही संभव है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन वेंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांटगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जाता है तो अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण का स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत आवेदन में किसी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंट के पक्ष में है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वार अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। दावे के विचारण में रहते रेस्पोडेंट के कब्जे काश्त में अपीलांटगण द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है तो अपीलांटगण के हितों पर कुठाराघात संभाव्य है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांटगण द्वारा पेश शपथ–पत्र पर विश्वास कर अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 रा.का.अधि. का निस्तारण करे तब तक न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.11.2021 यथावत रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया। 25/4/2022	